

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 33 / 2021

दायर दिनांक 02.09.2021

लीला देवी	उनवान	टोलीराम
	बनाम	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 21.09.2023

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील-प्रार्थी ने उपस्थित आकर प्रार्थना-पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाही जाने का निवेदन कर नोट प्रेस किया। अतः वकील प्रार्थी के निवेदन अनुसार प्रकरण नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार हो नंबर से कम हो।

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

